न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०

(14 वीं वित्त आयोग योजना के अंतर्गत सृजित)

सत्र वाद संख्या– 1456/2021

राज्य बनाम अनुज कुमार गुप्ता व अन्य

दिनांकः–26.07.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त अनुज कुमार गुप्ता न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है तथा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उर्फ लल्लन व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित।

पत्रावली आज साक्षी पी०डब्लू०–1 राममूर्ति से प्रतिपरीक्षा हेतु नियत है। पूर्व में उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा अंकित की जा चुकी है तथा उक्त परीक्षा में दिनांक 07.06.2022 को बचाव पक्ष द्वारा जिरह हेतु एक अवसर की याचना की गयी थी और इस न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष को उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा का एक अन्तिम अवसर दिया गया था परन्तु आज पुनः अभियुक्तगण की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके अधिवक्ता अस्वस्थ है और वे जिरह करने में असमर्थ हैं। जिरह हेतु अन्य तिथि नियत की जाये।

चूँकि पूर्व में ही साक्षी पी०डब्लू०–1 से जिरह का अन्तिम अवसर बचाव पक्ष को दिया गया था। आज पुनः जिरह का अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष द्वारा वाद को विलम्बित रखने के आशय से प्रार्थना पत्र दिया गया है। अतः बचाव पक्ष को साक्षी राममूर्ति से प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किया जाता है। साक्षी पी०डब्लू०–2 शिवसागर व पी०डब्लू०–3 श्रीमती गुड्डी को समन दिनांक 11.08.2022 के लिये जारी हो। नियत दिनांक को साक्षी अभियोजन पेश हो।

दिनांक–26.07.2022

(लोकेश नागर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(14 वीं वित्त आयोग योजना के अंतर्गत सृजित), हरदोई।